न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री रणछोड पुत्र मालाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री जगताराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री वचनाराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 11/2018

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 11 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी जगताराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया व वचनाराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत 4140 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत पोसालिया से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 04.9.2018 को सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया इस न्यायालय में उपस्थित हुये व प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड प्रस्तुत किया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ व न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया ने प्रार्थी व अन्य लोगों के आने जाने के

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

आम रास्ते की भूमि का अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है। ग्राम पंचायत, पोसालिया ने अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि का मौका निरीक्षण नही किया व न ही मिसल खोलकर नियमानुसार कार्यवाही की है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वह आम रास्ते की भूमि है जो माताजी मंदिर आने जाने का एक मात्र रास्ता है, इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी व अन्य लोग कई वर्षा पूर्व से करते आ रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 जो कि गत कई वर्षो से ग्राम पंचायत, पोसालिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी करता है ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करवाया है। यह कि प्रार्थी ने अपने आवासीय मकान में नल कनेक्शन हेतु पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया, तो अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने उक्त रास्ते की भूमि को अपने पट्टेशुदा भूमि होना बताकर एतराज किया, तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया ने अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे व मालिकाना हक की आबादी भूमि का पंचायत राज नियमों के तहत पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 को जारी किया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को जिस आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि रास्ते की भूमि नही है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पट्टेशुदा भूमि का पूर्व में कभी भी रास्ते की भूमि के रुप में उपयोग हुआ है। मौके पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के उक्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का आवासीय मकान बना हुआ है जो गत कई वर्षो से बने हुये है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने अपने पट्टे से अधिक भूमि पर निर्माण नही किया है, बल्कि हकीकत यह कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पट्टेशुदा भूमि में प्रार्थी निगरानीकर्ता रणछोड़ जोर जबरदस्ती अवैध रुप से नल कनेक्शन हेतु पाईप लाईन डाल रहा था, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा मना करने पर प्रार्थी निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में पट्टा वर्ष 1982 में जारी हुआ है, जिसकी जानकारी प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को प्रारम्भ से ही रही है तथा प्रार्थी रणछोड़राम के पिता मालाराम पुत्र पुराराम जी मीणा, निवासी- पोसालिया के पक्ष में ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा जारी पट्टे में भी पूर्व दिशा में अप्रार्थी वचनाराम पुत्र मगाजी का मकान होना अंकित है, इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नही किया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे व मालकी की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अत: प्रार्थी निगरानीकर्ता का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, पोसालिया से प्राप्त अभिलेख का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी जगताराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया व वचनाराम पुत्र मगाजी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 46x90 फीट कुल 4140 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अनुसार, जहां आबादी भूमि में किन्हीं व्यक्तियों का प्रभूत्व का विश्वस्त दावा हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नही हो सके तो ऐसी आबादी भूमि/भूखण्ड का पुराने कब्जे भोगवटे के आधार पर निर्धारित राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकेगा। प्रकरण में ग्राम पंचायत पोसालिया से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में उक्त भूखण्ड़ का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.4.1982 को आवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा मिसल संख्या 11 दिनांक 10.5.1982 को दायर की जाकर भूखण्ड़ का नजरी नक्शा तैयार करवाया गया एवं राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत तीन वार्ड़ पंचों की कमेटी गठित कर भूमि का मौका निरीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात् भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेते हुए विक्रय जाने वाले भूखण्ड़ के संबंध में दिनांक 26.7.1982 को एक माह की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत, पोसालिया ने उक्त भूखण्ड़ पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा होने की पुष्टि हेतु दो व्यक्तियों के बयान भी कलमबद्ध किये है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 19.10.1982 में संकल्प संख्या- 4 पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत भूमि विक्रय करने का निर्णय लिया जाकर ग्राम पंचायत कोष में भूखण्ड़ की राशि रसीद संख्या 80 दिनांक 29.11.1982 के द्वारा जमा होने के बाद ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11. 1982 को जारी किया गया है।

प्रार्थी पक्ष का मुख्यत: कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया है।'' लेकिन प्रार्थी ने अपने उक्त के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया हो। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा श्री मालाराम पुत्र श्री पुराराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया को जारी पट्टा संख्या 158 दिनांक 19.5.1985 की छाया प्रति व ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी श्री रणछोड़ पुत्र मालाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया को नल कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक: 2017-18/421 दिनांक 15.2.2018 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री मालाराम पुत्र श्री पुराराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया के उक्त पट्टा संख्या

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

158 दिनांक 19.5.1985 व प्रार्थी श्री रणछोड़ पुत्र श्री मालाराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया को जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.2.2018 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में वचनाराम पुत्र मगाजी मीणा का मकान होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को जारी पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में माला पुत्र पुराजी के मकान की भूमि होना अंकित किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 85 दिनांक 29.11.1982 को जारी किया गया है वह भूमि रास्ते की भूमि नही होकर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पुराने कब्जे/मकान की भूमि है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी निगरानीकर्ता का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

11.10.2019

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 13:41:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: